देश के लिए.. अव्यवस्था के खिलाफ..

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/bagj/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 3 जुलाई 2020

राजस्थान के खुबसूरत शहर अलवर को लगी नजर

दम तोड़ता अलवर का प्रेम रत्नाकर बांध

अपने जलाशयों,अभयारण्य और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात राजस्थान के अलवर शहर को अब नजर लग गयी है जिसके चलते अब यह शहर अवैध खननों,अवैध निर्माणों और अन्य कई कारणों और घटनाओं के लिए बदनाम होता जा रहा है|इसी कड़ी में हम बात कर रहे है यहाँ के ऐतिहासिक और प्राचीन जलाशयों की जिनके भराव और बहाव क्षेत्रों में अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों की वजह से अब यह जलाशय अंतिम साँसे ले रहे है|इन्ही मरते जलाशयों में एक नाम प्रेम रत्नाकर बांध का है,जिसमे अवैध निर्माण कर प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है|यदि इन अवैध निर्माणों को नहीं रोका गया तो भविष्य में हजारों मासूमों की जाने खतरे में पड़ सकती है|

भाग-1

विशेष रिपोर्ट

मास्टर प्लान 2031 के अनुसार बाँध जीवित परन्तु मौके पर गायब

तस्वीरें:- सोजन्य से patrika.com

नगर नियोजन विभाग,राजस्थान के मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक अलवर शहर से लगते प्रेम रत्नाकर बाँध के भराव क्षेत्र की करीब 100 से 125 बीघा जमीन पर मकान,होटल,रिसोर्ट व अन्य व्यवसायिक काम्प्लेक्स बन गए है शेष करीब 90 हैक्टेयर जमीन में भी बीच-बीच में बड़ी चारदीवारियाँ बना दी गयी है|यही नहीं बाँध में पहाड़ों से आने वाले पानी के रास्ते पर भी अवैध निर्माण हो गए है जिसके कारण बाँध का अस्तित्व संकट में है ऐसे में जब भी कुदरत का कहर होगा आफत जनता को झेलनी पड़ सकती है|अब तो अधिकारी भी मानने लगे है कि करीब करीब आधे बाँध कि जमीन पर रसूखदारों और भूमाफियाओं के अवैध निर्माण हो चुके है|इधर बाँध को लेकर किया गया सर्वे पूरा हो गया है|जीटी सर्वे से मिलान के आधार पर बाँध में हुआ निर्माण चिन्हित करने की तैयारी है|

वर्ष 1955 का रिकॉर्ड ही नहीं

असलियत यह है कि 1955 के रिकॉर्ड के आधार पर बाँध का भराव क्षेत्र चिन्हित किया जाना है लेकिन उस समय का प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है|इस कारण अब जीटी शीट से मिलान के आधार पर भराव क्षेत्र चिन्हित करने कि बात कही जा रही है जबकि 5 साल पहले यूआई टी ने भराव क्षेत्र तय कर नक़्शे भी सार्वजनिक कर दिए थे उसके बाद नये सिरे से सर्वे किया जा रहा है जिसमे मास्टर प्लान को आधार माना गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

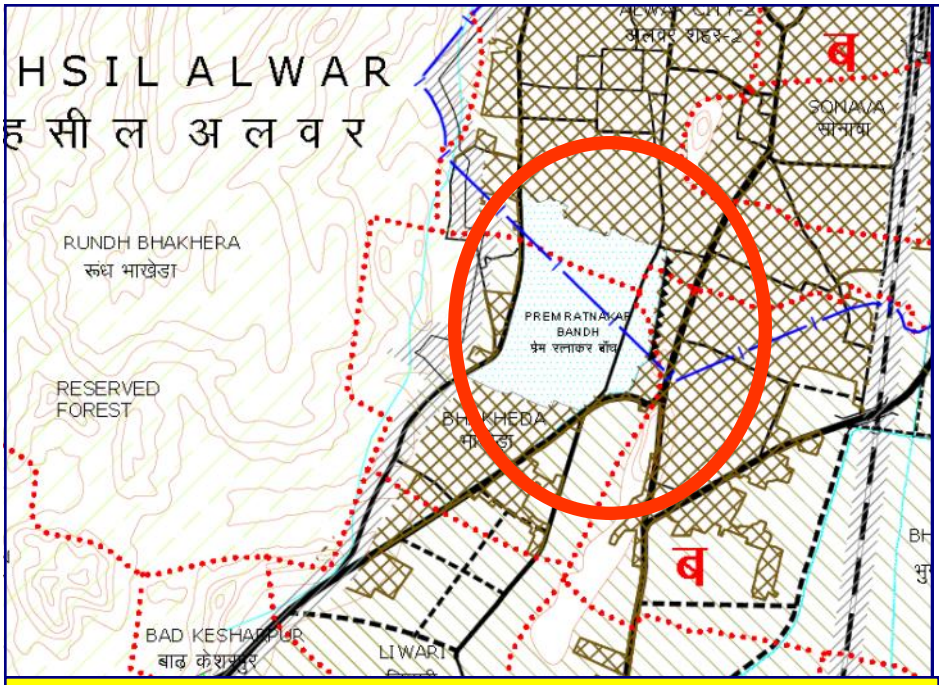

नगर नियोजन विभाग द्वारा जारी मास्टर प्लान में जीवित प्रेम रत्नाकर बाँध

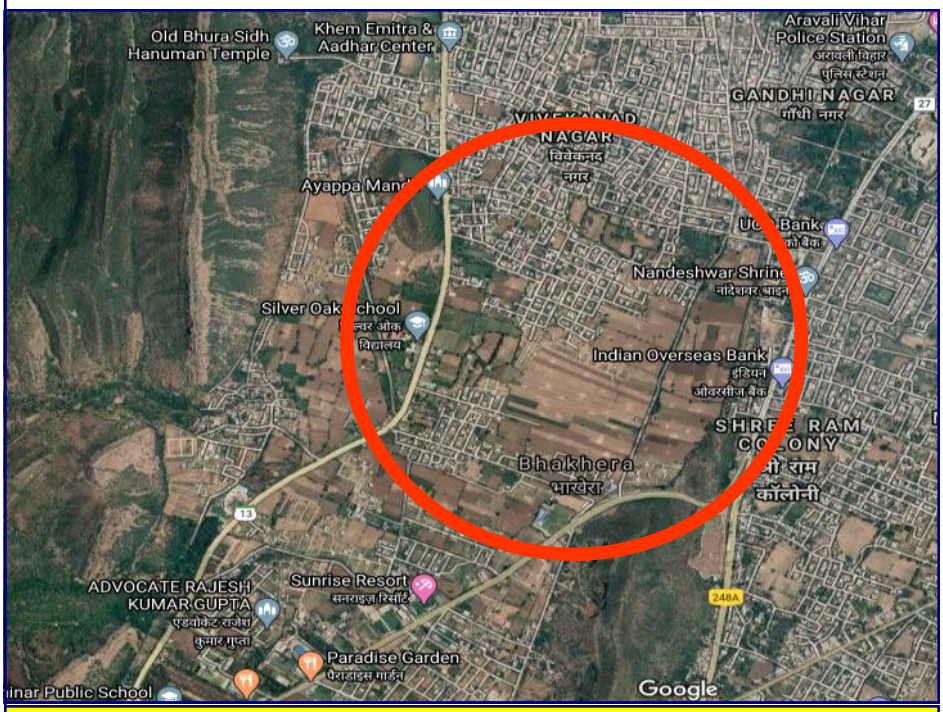

गूगल मेप के अनुसार अवैध निर्माणों से मृतप्राय प्रेम रत्नाकर बाँध

कटी घाटी की तरफ वाले नाले पर भी अतिक्रमण

इस बाँध से सटी पहाड़ियों के नजदीक कटी घाटी की तरफ से बारिश में पहाड़ों का पानी आता है जो सीधा बाँध में पहुँचता है,पानी की आवक नहीं होने से बाँध का दम घुटनें लगा है|

पहले पट्टे दिए फिर निरस्त किये

वर्ष 2012 में यूआईटी ने मिलीभगत करके प्रेम रत्नाकर बाँध के भराव क्षेत्र में बने मकानों के पट्टे जारी कर दिए जिनको बाद में निरस्त करना पड़ा|उसके बाद यूआईटी ने भराव क्षेत्र में कुछ जगहों पर सावचेत करने के बोर्ड भी लगाये जिन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ ही दिनों में उखाड़ फेंक दिए गए|उसके बाद प्रशासन भी सुस्त हो गया और भू माफिया सक्रीय हो गए और प्लाट काटकर बेचने लग गए|

ताक पर उच्च न्यायालय के आदेश

अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार

अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के सख्त आदेश है कि नदी,नाले,बाँध के बहाव व भराव क्षेत्र में किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता|न्यायालय ने आजादी के समय की स्थिति के अनुसार जलाशयों को पुनर्जिवित करने तक के आदेश दिए है इसके बावजूद बाँध व नदियों की जमीन पर अवैध निर्माणों कि बाढ़ आ गयी है|राज्य के लगभग सभी गाँवों शहरों में स्थित नदियों,तालाबों,बांधों और अन्य जलाशयों पर स्थानीय रसूखदारों,भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण कर लिए है|राजधानी जयपुर की जीवन रेखा रामगढ़ बाँध में पानी आये हुए कई साल हो चुके है|जिसके चलते शहर की प्यास बुझाने के लिए बीसलपुर का पानी लाना पड़ा है|यही हाल अलवर का जहाँ पर चम्बल से पानी लाने की तैयारी की जा रही है|देखा जाए तो इन जलाशयों का दम घोंटने में स्थानीय प्रशासन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्यूंकि समय रहते वह चेतते नहीं है और जब न्यायालय का डंडा पड़ता है तो कागजी खानापूर्ति में लग जाते है और कोर्ट को गुमराह करते रहते है|

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए है जिलावार " पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल" बनाने के आदेश

जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान सरकार मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिलावार **" पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल"** बनाने के आदेश दिए है|राज्य में बड़ी संख्या में सार्वजनिक भूमि जैसे जोहड़,तालाब,नदियों,सार्वजानिक रास्तों,शमशान,कब्रिस्तान,चारागाहों आदि पर हो रहे अतिक्रमणों,अवैध निर्माणों के विरुद्ध दाखिल हो रही बहुसंख्यक जन हित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव को जिला कलेक्टर कि अध्यक्षता में जिलावार कमिटियाँ बनाने के निर्देश दिए है|गाँवों के सार्वजानिक स्थानों पर हो रहे अतिक्रमणों,अवैध निर्माणों पर चिंता जताते हुए केंद्रीयकृत एवं स्थायी मेकेनिज्म कि आवश्यकता बताते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता कि शिकायत को कमिटी द्वारा सुना जाए और प्रत्येक मामले में स्पीकिंग आर्डर पारित किये जाए जिसकी सुचना शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करवाई जाये|

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी राज्यों के बांधों कि सूची में नहीं है प्रेम रत्नाकर बाँध का नाम

सबसे अफ़सोस कि बात यह है कि जल संसाधन विभाग द्वारा जारी राज्यों के बांधों कि सूची में प्रेम रत्नाकर बाँध का नाम ही नहीं है|जिसका सीधा मतलब है कि इस समूचे बाँध को ही ख़त्म कर दिया गया है|

इस बाँध का रिकॉर्ड और अन्य जानकारी ना तो जिला कलेक्टर कार्यालय में मौजूद है और ना ही जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता के पास

यह जानकारियां चाही गयी थी जिन्हें देने में प्रशासन टालमटोली कर रहा है|

1. प्रेम रत्नागिरी बाँध के आधिकारिक नक़्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि
2. प्रेम रत्नागिरी बाँध में जिन लोगो को अब तक नोटिस देकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है सम्पूर्ण ब्यौरा
3. प्रेम रत्नागिरी बाँध के भराव क्षेत्र में आने वाले खसरों की जानकारी(मय राजस्व ग्राम,खसरा संख्या,मेप,क्षेत्रफल,खातेदार का नाम,सम्बंधित जमाबंदी)
4. प्रेम रत्नागिरी बाँध में वर्ष 2010 के पश्च्यात आने वाले पानी/भराव का वर्षवार ब्यौरा
5. प्रेम रत्नागिरी बाँध के भराव क्षेत्र में बनी दीवारों,मकानों,फ़ार्म हाउस,,सड़कों को हटाने हेतु आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाहियों की जानकारी

जब इस मामले में जिला कलेक्टर से सुचना के अधिकार के तहत सूचनाये चाही गयी तो समूचा प्रशासन बगले झाँकने लगा,कलेक्ट्रेट से फाईल जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता के पास पहुची जहाँ से यह कहते हुए आवेदन विकास अधिकारी,पंचायत समिति उमरैण को अंतरित कर दी गयी कि वर्ष 2003 में प्रेम रत्नाकर बाँध मय रिकॉर्ड पंचायत को हस्तांतरित किया जा चुका है|यह सिलसिला यहीं नहीं रुका श्रीमान विकास अधिकारी,पंचायत समिति उमरैण ने यह सुचना आवेदन ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत भूगोर को अंतरित कर दिया|

जिम्मेदार विभाग?

जिला कलेक्टर कार्यालय

यूआईटी

जन संसाधन विभाग

राजस्व विभाग

सम्बंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– लो0सू0अ0/अन्तरण/2020/ दिनांक:–
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (W.R.D.)
अलवर।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अन्य लोक प्राधिकारी/कार्यालय को आवेदन–पत्र का स्थानान्तरण/अन्तरण।
प्रसंग :– श्री ज्ञानेश कुमार C/O जवाब दो सरकार, एस–1, सेकेंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेन्ट, सगतसिंह मोड, जनरल सगतसिह मार्ग, खातीपुरा (जयपुर)–302012 राज. द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक: 15.05.20

आवेदन क्रमांक: 144 दिनांक: 29.05.20

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक: 15.05.20, इस कार्यालय को दिनांक: 22.05..20 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा उक्त प्रा0पत्र के माध्यम से **आपके क्षेत्राधीन प्रेम रत्नागिरी बाँध संबंधी बिन्दुवार सूचना** चाही गयी है। प्रा0पत्र के परीक्षण उपरान्त प्रा0पत्र में अंकित सूचना का संबंध इस कार्यालय से ना होकर आपके कार्यालय/विभाग/उपक्रम से होना प्रतीत होता है। अतः प्रा0पत्र में अंकित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित/नियंत्रणाधीन/संधारित होने के कारण, उक्त प्रा0पत्र निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में आपकी ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्तरित किया जा रहा है। आवेदक शुल्क जमा राजकोष हो चुका है।

अतः आवेदक के उक्त मूल आवेदन–पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आपको हस्तांतरित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया समयावधि में **अधिनियम के प्रावधानानुसार** आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाते हुये इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें। *यदि यह सूचना आपके विभाग/उपक्रम के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस विभाग को भिजवाया जावे जिससे यह प्रकरण अधिक निकटता से संबंधित है, उसे हस्तांतरित कर दिया जावे तथा इसकी सूचना सीधे ही आवेदक को भी दी जावे।*

संलग्न :– मूल प्रा0पत्र दि0 15.05.20

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर

क्रमांक : आर.टी.आई./20–21/ दिनांक :

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, उमरैण।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।
प्रसंग :– आवेदक श्री ज्ञानेश कुमार का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2003 में प्रेमरत्नाकर बांध मय रिकार्ड के आपको हस्तान्तिरत किया जा चुका है। आवेदक श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा इस कार्यालय में उक्त प्रासांगिक पत्र के माध्यम से (प्रति संलग्न) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रेम रत्नाकर बाधं से सम्बन्धित सूचना चाही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि का पोस्टल आर्डर इस कार्यालय में प्राप्त हो चुका हे। अतः आप उक्त प्रार्थना पत्रानुसार चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में आवेदक को उपलब्ध करावें।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड अलवर

क्रमांक : आर.टी.आई./20–21/559–60 दिनांक : 15.6.2020

प्रतिलिपि श्री ज्ञानेश कुमार, एस–1, सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, सगल सिंह मोड़, जनरल सगल सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रेम रत्नाकर बांध से सम्बन्धित सूचना आप सम्बन्धित पंचायत समिति उमरैण से प्राप्त करें।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड अलवर

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरैण, अलवर

क्रमांक– 541-42 दिनांक– 17/6/2020

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भूगोर

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत आवेदन पत्र अंतरण करनें बाबत।
संदर्भः– श्रीमान अधिशाषी अभियंता जलसंसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक आर.टी. आई/20–21/559–560 दिनांक 15.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक श्री ज्ञानेश कुमार एस–1 सेंकेड फलोर झारखण्ड अपार्टमेंट सगल सिंह मोड, जनरल सगल सिंह मार्ग, खतीपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा चाही गई सूचना आपके ग्राम पंचायत कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः पत्र के साथ आवेदंक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत आपको हस्तांतरित/अंतरण कर लेख है कि समयावधि में पत्रानुसार आवेदक श्री ज्ञानेश कुमार एस–1 सेंकेड फलोर झारखण्ड अपार्टमेंट सगल सिंह मोड, जनरल सगल सिंह मार्ग, खतीपुरा जयपुर राजस्थान को सूचना उपलब्ध कराते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति उमरैण

विभिन्न कार्यालयों में घूमता सुचना आवेदन